मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2012 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : (सूची संलग्न)

1. दिनांक 04.04.2012 को हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाही के सभी बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गयी।

2. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नलिखित जानकारियाँ दी गयीः–

   2.1 सहदेई बुजुर्ग (जिला–वैशाली) के विद्युत उपकेन्द्र की जमीन के लिए धारा 7/17 का प्रस्ताव जिला स्तर पर लंबित है। इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी है।

   2.2 सम्हा अक्खा खुरा (जिला–बेगुसराय) के विद्युत उपकेन्द्र के लिए भू–अर्जन की धारा 7/17 का प्रस्ताव आयुक्त, मुंगेर के यहाँ लंबित है। इसकी प्रक्रिया शीघ्र पूरा की जानी है।

   2.3 चौसा (जिला–बक्सर) के 4 गाँवों में भू–अर्जन के उपरान्त कुछ किसान भूमिहीन हो जायेंगे। प्रत्येक रैयती किसान को नियमानुसार 5 Decimal जमीन acquire कर देना है। 3 गाँवों के लिए अधियाचना बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जा चुका है बाकी एक गाँव के लिए नक्शे आदि के अनुपलब्धता के कारण अभी तक अधियाचना नहीं हो पाया है, जिसे शीघ्र किया जाना है। इसके अलावा दो गाँवों के अन्तर्गत 7/17 संबंधी प्रस्ताव आयुक्त के स्तर पर लंबित है। अन्य गाँवों से संबंधित भूमि का प्रस्ताव भी जिला पदाधिकारी के पास लंबित है। 7/17 की प्रक्रिया प्राथमिकता पर पूरी की जानी है।

   2.4 के0बी0यू0एन0एल0, मुजफ्फरपुर के Ash Dyke तथा Ash Pipe Corridor के भुगतान की प्रक्रिया को अभीतक पूरा नहीं किया जा सका है। भूमि संबंधी दस्तावेज को प्राथमिकता पर अद्यतन किया जाना है तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी (डी0एल0ए0ओ0) को शीघ्र भुगतान के लिए निदेशित किया जाना है। पूर्ववर्त्ती जिला भू–अर्जन पदाधिकारी Dual Charge में थे, जिसके कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा था।

2.5 बोचहा एवं साहेबगंज (मुजफ्फरपुर जिला) के धारा 7/17 की प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है। इसकी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जानी है।

2.6 सोनवर्षा (सहरसा) का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आयुक्त, कोशी प्रमंडल को भेजा जा चुका है। इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी है।

2.7 बेगुसराय जिले के कुल 4 पावर सब स्टेशन का भूमि संबंधी प्रस्ताव बहुत दिनों से लंबित है। दंडारी तथा साहेबपुर कमाल की धारा 4/6 का प्रस्ताव जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है। मटिहानी एवं सम्हा अक्खा खुरा की धारा 7/17 का प्रस्ताव आयुक्त स्तर पर लंबित है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.05.2012 को जिला पदाधिकारी, बेगुसराय एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के साथ भूमि संबंधी तथा लंबित मामले पर बैठक कर शीघ्र निदान करवाया जायेगा।

2.8 औराई के लिए वैकल्पिक जमीन चिन्हित किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा इसकी अधियाचना जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को शीघ्र किया जाना है ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया त्वरित हो।

2.9 खानपुर (समस्तीपुर) जिला के भूमि के लिए भुगतान बोर्ड द्वारा कर दिया गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्राथमिकता पर की जानी है।

2.10 कानन (रक्सौल) संबंधी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण कालातीत हो गया है। विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

2.11 बनमाइटहरी पावर सब स्टेशन (सहरसा) के 7/17 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार को प्रस्तुत किया गया है।

3. 11 के0भी0 सरकारी उपभोक्ता के लिए 52 मीटरिंग यूनिट की आपूर्ति मई, 2012 में हो जायेगी इसे प्राप्त होते ही अधिष्ठापित की जानी है।

4. 253 एल0टी0सी0टी0 उपभोक्ताओं का मीटरीकरण अप्रैल, 2012 में किया गया है शेष 433 एल0टी0सी0टी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता पर जुलाई, 2012 तक मीटरीकरण किया जाना है।

5. मीटर लगाने के लिए पर्याप्त एजेन्सी की व्यवस्था तथा अपेक्षित निगरानी बरती जानी है।

6. तीन फेज मीटर की आपूर्ति मई, 2012 में शुरू हो जायेगी, इसे प्राप्त होने के तुरत बाद अधिष्ठाापित किये जाने के लिए व्यवस्था की जानी है।

7. AT & C Loss घटाने के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न एरिया बोर्ड एवं सर्किल के लिए लक्ष्य निर्धारित की गयी है। इस पर सतत निगरानी रखी जानी है तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

8. राज्य सरकार द्वारा शहरों में फ्रेन्चाईजी व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस पर बोर्ड द्वारा अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

9. बरौनी थर्मल पावर प्लान्ट की निजी जमीन, जो पटना जिला में अवस्थित है, से संबंधित मामले का निष्पादन डी0सी0एल0आर0 द्वारा नियमानुसार कर दिया गया है। धारा 7/17 की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाना है।

10. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि चौसा (बक्सर जिला) में मोहनपुरबा 3.87 एकड़, सिकरौर 1.41 एकड़ बनारपुर 3.91 एकड़ की जमीन उद्योग विभाग से संबंधित है। उद्योग विभाग की सहमति के लिए संचिका/प्रस्ताव लंबित है। उद्योग विभाग के एन0ओ0सी0 (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के कारण अधिग्रहण लंबित है। प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के साथ बैठक कर जल्द एन0ओ0सी0 प्राप्त की जानी है।

11. पीरपैंती प्रोजेक्ट (भागलपुर जिला) के सरकारी जमीन का प्रस्ताव जिला स्तर पर लंबित है। इसे जल्द जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रौसेस कराया जाना है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्रस्ताव शीघ्र आयुक्त, भागलपुर के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जाना है।

12. चौसा थर्मल पावर स्टेशन के लिए मेसर्स सतलज जल विद्युत निगम एवं कजरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए एन0एच0पी0सी0 से संबंधित विवरणी शीघ्र प्राप्त की जानी है ताकि इसे राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रौसेस किया जा सके।

13. निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि पुसौली ग्रीड सब स्टेशन के लिए 7.82 एकड़ सरकारी जमीन को बोर्ड को हस्तानान्तरित करते हुए प्रस्ताव मंत्रिमंडल की अगली बैठक में लाया जायेगा। इसके अलावा 5.75 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए भी जिलाधिकारी, कैमूर को अधियाचना की जा चुकी है तथा बोर्ड द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है। अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र की जानी है।

14. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा केनरा बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड तथा इंटरनेट द्वारा भुगतान की व्यवस्था चालू किया जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान की व्यवस्था के बारे में कार्रवाई की जानी है। अन्य बैंकों द्वारा भी भुगतान की सुविधा के लिए प्रयास किया जाना है।

15. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मदों पर भुगतान हेतु राज्य सरकार से आग्रह किया गयाः–

15.1 ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में सुखे की स्थिति के कारण अतिरिक्त विद्युत सप्लाई के लिए रू0 382.83 करोड़ की शेष राशि का भुगतान।

15.2 राज्य सरकार द्वारा रू0 400 करोड़ अतिरिक्त बिजली क्रय के निमित्त भुगतान।

15.3 पटना यूनिवर्सिटी के बिजली बिल के बकाये की राशि रू0 93.71 करोड़ का शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान।

16. सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने बताया कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक माह Pension एवं Terminal Benefit liability हेतु एवं ऊर्जा विपत्र के ससमय भुगतान हेतु लिए गए ऋण पर EMI का भुगतान करना पड़ता है, जो कि करीब रू0 70 करोड़ प्रतिमाह होता है, परन्तु इस आवश्यक खर्च को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) द्वारा 2012–13 के टैरिफ में अस्वीकृत कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को रिसोर्स गैप के तहत प्रतिमाह राजस्व एवं खर्च के अंतर को पाटने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि बोर्ड आवश्यक खर्चों को वहन करने में सक्षम हो सके। इस संबंध में बी0ई0आर0सी0 से राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने की

आवश्यकता है, ताकि बोर्ड द्वारा किये जा रहे आवश्यक खर्चों की भरपाई, जिसे बी0ई0आर0सी0 द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, का सामंजस्य रिसोर्स गैप की राशि से हो सके और बोर्ड को इस संदर्भ में किसी हानि का सामना न करना पड़े।

17. क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, एन0टी0पी0सी0 द्वारा यह बताया गया कि नबीनगर में किसानों द्वारा एकरारनामा हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा है तथा जिन किसानों ने एकरारनामा पर हस्ताक्षर किये हैं वे भी भुगतान नहीं ले रहें हैं, जिसके कारण सीमित जमीन पर ही वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। स्टेज–1 के मेन प्लान्ट एरिया के अधिकांश जमीन का अधिग्रहण अभीतक नहीं हो पाया है। अभीतक मात्र 460 एकड़ जमीन का विभिन्न पैचेज में फिजिकल पौजेशन मिला है। तत्काल फेज–1 के मेन प्लान्ट एरिया के लिए 700 एकड़ जमीन का फिजिकल पौजेशन अत्यावश्यक है। मेन प्लान्ट एरिया के भूमि को नहीं सौपें जाने के कारण एस0टी0जी0 पैकेज आदि का ऑर्डर जारी करने में व्यवहारिक कठिनाई हो रही है। सदस्य (प्रशासन), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को भ्रमण कर वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

नबीनगर भू–अर्जन के लिए पुराने खतियान में स्वामित्व के संबंध में जो विवाद है वह कोर्ट में लंबित है। बकास्त जमीन का 7/17 जारी किया जा चुका है। कुल 8 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर ही चहारदीवारी का काम हो पाया है। इसे शीघ्र पूरा किया जाना है।

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सक्रियात्मक प्रयास कर किसानों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जानी है।

18. एन0टी0पी0सी0 के बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन के एप्रोच रोड के लिए 3.4 एकड़ तथा रेलवे साईडिंग के लिए शेष 0.5 कि0मी0 भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

19. बोर्ड द्वारा संचरण एवं वितरण प्रणाली की वर्तमान क्षमता तथा पावर की उपलब्धता के मद्देनजर क्षमता वृद्धि के लिए कार्य योजना तैयार की जानी है। वर्तमान संचरण एवं वितरण व्यवस्था में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए

आवश्यक कदम उठाये जाने है। वर्षवार पावर की उपलब्धता तथा संचरण एवं वितरण क्षमता में वृद्धि का विवरणी तैयार किया जाना है।

20. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने बताया कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी के Registration एवं Commencement of Business का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। अन्य चार Subsidiary Companies के पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है, जो जल्द ही प्राप्त कर लिया जायेगा। ट्रांसफर स्कीम पर संप्रति वित्त विभाग में विमर्श हो रहा है। इसे जल्द Finalise कर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है।

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

ुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों की समीक्षात्मक बैठक ।

दिनांक : 07/05/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	
2	श्री ए0 के0 सिन्हा	विकास आयुक्त	
3	श्री सी0 अशोक वर्द्धन	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	
5	श्री अजय नायक	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	
6	श्री हुकुम सिंह मीणा	सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन	
7	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
8	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
9	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
10	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
11	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
12	श्री शम्भूनाथ मिश्रा	संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग	7/5/12

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड–I) 2142 पटना, दिनांक 15/5/12

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड–I) 2142 पटना, दिनांक 15/5/12

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।